क्रम-संख्या-204

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2007

श्रावण 12, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1438/79–वि–1–07-1(क)37/2007
लखनऊ, 3 अगस्त, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 4 में उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) तीन से अनधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें उसकी राय में वनों के परिरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे। राज्य सरकार ऐसे एक या एक से अधिक अशासकीय सदस्यों को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975) का अधिनियमन वनों के श्रेष्ठतर परिरक्षण पर्यवेक्षण और विकास और राज्य के भीतर वन उपज के श्रेष्ठतर विदोहन के लिये एक निगम की स्थापना के लिये व्यवस्था करता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में उक्त निगम के गठन की व्यवस्था है। यह अनुभव किया गया है कि उक्त निगम के श्रेष्ठतर सम्पादन को सुनिश्चित करने के लिये उपाध्यक्ष का पद आवश्यक है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित सदस्यों में से एक या अधिक गैर-सरकारी सदस्यों को उक्त निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम संशोधन विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 1438/LXXIX-V-1-07-1(Ka)37/2007
Dated, Lucknow August 3, 2007

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Van Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2007 :—

THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 23 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Forest Corporation (Amendment) Act, 2007.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 4 of 1975

2. In section 4 of the Uttar Pradesh forest Corporation Act, 1974, in sub-section (1) for clause (b) the following clause shall be *substituted* namely:–

"(b) not more than three non-official members to be appointed by the State Government from amongst the persons who in its opinion passess experience in matters relating to the preservation and development of forests. The State Government may appoint one or more such non-official members as the Deputy Chairman."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (U.P. Act no. 4 of 1975) has been enacted to provide for the establishment of a Corporation for better preservation, supervision and development of forests and better exploitation of forest produce within the State. Section 4 of the said Act provides for the constitution of the said Corporation. It has been felt that the office of the Deputy Chairman is necessary to ensure better performance of the said Corporation. It has, therefore, been decided to amend the said Act to empower the State Government to appoint one or more non-official members from amongst the members mentioned in clause (b) of sub-section (1) of the said section as the Deputy Chairman of the said Corporation.

The Uttar Pradesh Forest Corporation (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 332 राजपत्र–(901)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 180 सा० विधायी–(902)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)